विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

राजस्थान में अनियोजित शहरीकरण: एक नई चुनौती

राजस्थान की धरती सदियों से अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विविधता के लिए जानी जाती रही है। मरुस्थल की सादगी और राजमहलों की भव्यता के बीच संतुलित यह प्रदेश अब तेजी से बदल रहा है। विकास की नई परिभाषाएँ यहाँ की जीवनशैली, जनसंख्या के वितरण और पर्यावरणीय ताने-बाने को पुनर्गठित कर रही हैं। पिछले दो दशकों में शहरी विस्तार की जो रफ्तार राजस्थान के शहरों में देखी गई है, वह अभूतपूर्व है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और अलवर जैसे शहर अब छोटे नगरों और गाँवों को अपने भीतर समेटते जा रहे हैं। यह परिवर्तन विकास और रोजगार के अवसर तो ला रहा है, किंतु इसके पीछे छिपे खतरे भी कम नहीं हैं।

राजस्थान परंपरागत रूप से कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य रहा है। ठाामीण आबादी यहाँ की रीढ़ रही है, और गाँवों की सामाजिक संरचना से ही इस प्रदेश का सांस्कृतिक स्वर आकार लेता रहा है। लेकिन पिछले पंद्रह-बीस वर्षों में शहरीकरण की गति इतनी तेज हुई है कि ग्रामीण जीवन अब शहर की परिधि में सिमटता जा रहा है। नई औद्योगिक परियोजनाएँ, रियल एस्टेट की बढ़ती माँग, और पर्यटन क्षेत्र का विस्तार ने ग्रामीण भूमि को निगलना शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप, खेती की जमीनें सिमट रही हैं, और पारंपरिक व्यवसाय भी शहरों पर निर्भर होते जा रहे हैं।

शहरीकरण अपने आप में नकारात्मक नहीं है, लेकिन जब यह अनियोजित और अति-केंद्रित हो जाए, तो कई गंभीर समस्याएँ जन्म लेती हैं। जयपुर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कभी राजसी सौंदर्य, गुलाबी आभा और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध यह शहर आज यातायात जाम, प्रदूषण, पानी की कमी और बढ़ती जनसंख्या दबाव से जूझ रहा है। जोधपुर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक शहरों में भी इसी प्रवृत्ति के लक्षण दिखने लगे हैं। नगर सीमा के बाहर बसे गाँव अब 'स्मार्ट सिटी' की परिधि में आ रहे हैं, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का टकराव स्पष्ट दिखाई देता है। शहरों का फैलाव केवल भौगोलिक नहीं, सामाजिक रूप से भी हो रहा है-लोगों के जीवन-मूल्य, रिश्तों के स्वरूप और जीवन की गति में व्यापक परिवर्तन दिख रहा है।

अति-शहरीकरण का सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। मरुस्थल राज्य होने के नाते राजस्थान सदैव जल संकट से जूझता रहा है। नलकूपों की अंधाधुंध खुदाई, हरियाली के नाम पर अकल्पनीय निर्माण, और भूगर्भीय जल का अनियंत्रित दोहन अब भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी बन चुका है। जो शहर कभी जल-संवेदनशील थे, वे अब जल के उपभोग पर निर्भर हो गए हैं। जयपुर का उदाहरण लें तो आमेर और जलमहल जैसे तालाब जिनके जल पर कभी पूरा नगर बसता था, अब मात्र पर्यटन स्थल बनकर रह गए हैं। बढ़ते निर्माण कार्य और सड़क विस्तार के चलते वर्षा का पानी जमीन में समाने की बजाय नालों में बह जाता है। इससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है।

सामाजिक दृष्टि से देखें तो अति-शहरीकरण ने असमानता की खाई को चौड़ा किया है। शहरों में अमीरी और गरीबी के बीच की विभाजक रेखाएँ और गहरी हो रही हैं। एक ओर ऊँची इमारतों में रहने वाले लोगों का जीवन विलासिता से भरा है तो दूसरी ओर उन्हीं शहरों के छोर पर झुग्गी-झोपड़ियाँ बसती जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों से पलायन करने वाले लोग सस्ते श्रम के रूप में इन शहरों की रीढ़ तो बनते हैं, लेकिन उन्हें आधारभूत सुविधाएँ नहीं मिल पातीं। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी सुविधाएँ शहरों के केंद्र तक सीमित हो चुकी हैं।

राजस्थान के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। विकास आवश्यक है, लेकिन उसका स्वरूप लोक-जीवन के अनुकूल होना चाहिए। शहरों का विस्तार टिकाऊ तभी बन सकता है जब उसमें जल-संरक्षण, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था, और सांस्कृतिक विरासत का समन्वय हो। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ ताकि लोग केवल बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर भागने को विवश न हों। छोटे कस्बों को आत्मनिर्भर बनाकर ही बड़े शहरों पर दबाव कम किया जा सकता है।

अति-शहरीकरण का एक और गंभीर पहलू है सांस्कृतिक क्षरण। राजस्थान की पहचान उसकी लोकसंस्कृति, पोशाक, बोली, संगीत और सामुदायिक जीवन से रही है। लेकिन अब यह सांस्कृतिक धरोहर शहरों के विस्तार में खोती जा रही है। पीढ़ियों से चलने वाले पारंपरिक शिल्प और व्यवसाय अब आधुनिक बाज़ार व्यवस्था के दबाव में टिक नहीं पा रहे हैं। पारंपरिक मिट्टी के बर्तन, ब्लॉक प्रिंटिंग, कारीगरी या लोकगीतों की जगह अब फैक्ट्री-निर्मित उत्पादों और शो-कल्चर ने ले ली है। गाँव का 'मेला' अब मॉल में बदल गया है और सांझ का चबूतरा अब कैफे की टेबल बन गया है। इस बदलाव में सुविधा तो है, पर आत्मीयता नहीं।

राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी अति-शहरीकरण ने नई चुनौतियाँ दी हैं। नगर परिषदों और विकास प्राधिकरणों के पास इतनी तेज़ी से फैलते शहरों के लिए पर्याप्त योजना और संसाधन नहीं हैं। मास्टर प्लान अक्सर कागज़ों में ही सीमित रह जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य मनमाने ढंग से चलते रहते हैं। भूमि अधिग्रहण और अवैध कॉलोनियों का जाल व्यवस्थित शहरी विकास को बाधित कर रहा है। सरकार को अब ग्रामीण विकास की दिशा में पुनर्विचार करना होगा, ताकि गाँवों को इस शहरी दौड़ में पूरी तरह विस्थापित होने से बचाया जा सके।

अति-शहरीकरण के असर को शिक्षा और युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी चिंताजनक संकेत हैं। गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अवसरों की तलाश में भेजते हैं, लेकिन शहरों की उपभोक्तावादी संस्कृति में उनकी जड़ें कमजोर होती जाती हैं। जीवन का अर्थ केवल आर्थिक उपलब्धियों से जोड़ा जाने लगा है। परिणामस्वरूप सामुदायिक भावना, पर्यावरणीय चेतना और आत्म-संतुलन जैसे मूल्य धीरे-धीरे मुरझा रहे हैं। परंपरा और आधुनिकता का यह असंतुलन आने वाले समय में सामाजिक विखंडन को जन्म दे सकता है।

राजस्थान के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। विकास आवश्यक है, लेकिन उसका स्वरूप लोक-जीवन के अनुकूल होना चाहिए। शहरों का विस्तार टिकाऊ तभी बन सकता है जब उसमें जल-संरक्षण, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था, और सांस्कृतिक विरासत का समन्वय हो। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ ताकि लोग केवल बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर भागने को विवश न हों। छोटे कस्बों को आत्मनिर्भर बनाकर ही बड़े शहरों पर दबाव कम किया जा सकता है।

राजस्थान का भावात्मक और सांस्कृतिक जीवन गाँवों से उपजा है। यदि अति-शहरीकरण की यह नीति इसी रफ्तार से चलती रही तो यह मूल पहचान खोने का खतरा बन सकती है। इस प्रदेश की आत्मा उसकी लोक-संस्कृति में है, जिसे शहरीकरण की चमक में मिटने नहीं देना चाहिए। विकास की दिशा ऐसी हो, जो परंपरा को नष्ट न करे, बल्कि उसे नए युग के साथ जोड़ दे। ऐसा संतुलित दृष्टिकोण ही राजस्थान को एक सशक्त, सुंदर और सतत भविष्य की राह पर ले जा सकता है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

राशिफल गुरूवार 27 नवम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, सप्तम तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, धनिष्ठा नक्षत्र दिन 2:32 तक, ध्रुव योग दिन 12:09 तक, गर करण दिन 12:16 तक, चन्द्रमा आज दिन 2:07 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-मकर, मंगल-वृश्चिक, बुध-तुला, गुरू-कर्क, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज भद्रा रात्रि 11:30 से आरम्भ होगी। आज मित्र सप्तमी, नरसी मेहता जयन्ती है। पंचक दिन 2:07 से आरम्भ होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:18 तक, चर 10:56 से 12:14 तक, लाभ-अमृत 12:14 से 2:52 तक, शुभ 4:10 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:59, सूर्यास्त 5:29 तक

मेष

व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

सिंह

विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मकर

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

तुला

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कर्क

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

वृश्चिक

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

एसआईआर-2026: डिजिटल लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम और विरासत का संरक्षण

उत्सव कौशल

मतदाता सूची का शुद्धिकरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अस्तित्व का दस्तावेज तैयार करने का महायज्ञ है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता है और उसकी सबसे बड़ी पूंजी मतदाता सूची की शुद्धता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को यदि हम केवल नाम जोड़ने और हटाने की एक नियमित वार्षिक कवायद भर मानें तो यह इस अभियान के मूल उद्देश्य के साथ न्याय नहीं होगा। डीग जिले में इस अभियान के क्रियान्वयन के दौरान जो अनुभव सामने आए हैं, वे बताते हैं कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ प्रशासनिक दक्षता और जन-भागीदारी मिलकर डिजिटल लोकतंत्र की नींव रख रहे हैं।

अतीत से भविष्य का सेतु :- इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी नागरिकता, पहचान या वंशावली सिद्ध करने के लिए दशकों पुराने (जैसे वर्ष 2002 या पूर्व के) रेकार्ड खोजते हैं। एसआईआर 2026 आज उसी लिगेसी डेटा को वर्तमान डिजिटल इकोसिस्टम के साथ जोड़ने का काम कर रहा है।

मैंने कई बार ग्रामीण अंचलों में संवाद के दौरान यह बात दोहराई है कि आज भरा गया आपका एक गणना प्रपत्र केवल वोट देने का अधिकार पत्र नहीं है, बल्कि यह आने वाले 20-30 वर्षों बाद आपकी अगली पीढ़ी के लिए विरासत का प्रमाण बनेगा। जब प्रशासन ने इस दृष्टिकोण को जनता के सामने रखा, तो लोगों का जुड़ाव भावनात्मक हो गया। यह अभियान अब केवल सरकारी आदेश नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न बन गया है।

नवाचार: जब प्रतिस्पर्धा बनी प्रेरणा :- एक नवसृजित और ग्रामीण बाहुल्य जिले के रूप में डीग के सामने कई चुनौतियां थीं-तकनीकी साक्षरता की कमी, पुराने रिकॉर्ड्स की अनुपलब्धता और प्रवासन लेकिन हमने महसूस किया कि पारंपरिक ढर्रे से हटकर कुछ नया करना होगा। हमने दंड के बजाय प्रोत्साहन का मॉडल अपनाया। जब हमने प्रतिदिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को बेस्ट बीएलओ के रूप में सम्मानित करना शुरू किया, तो मैदानी अमले में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जाग उठी। परिणाम चौंकाने वाले थे- 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों पर भी कार्मिकों ने समय से पूर्व 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया। यह सिद्ध करता है कि यदि कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया जाए और उन्हें स्वामित्व का अहसास कराया जाए तो कठिनतम लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

कन्वर्जेंस- सिलोस को तोड़ना प्रशासनिक सफलता का मूल मंत्र समन्वय है। निर्वाचन कार्य को अक्सर केवल चुनाव शाखा की जिम्मेदारी मान लिया जाता है, लेकिन हमने इसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीएलओ के साथ शैडो वर्कर के रूप में जोड़ना एक निर्णायक कदम साबित हुआ। ग्रामीण परिवेश में जहाँ कई बार पर्दा प्रथा या अन्य सामाजिक कारणों से महिलाओं तक सीधी पहुँच मुश्किल होती है, वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर के भीतर तक पहुंचकर डेटा संकलन को सुगम बनाया। साथ ही, स्कूलों में छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला और रंगोली के माध्यम से अपने अभिभावकों को जागरूक करना-यह दर्शाता है कि जागरूकता अब कक्षाओं से निकलकर चौपालों तक पहुँच चुकी है।

शून्य त्रुटि की प्रतिबद्धता :- एसआईआर-2026 का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो त्रुटिहीन हो। दोहरे पंजीकरण और मृत मतदाताओं के नाम हटाना एक बड़ी चुनौती रही है। हमने तकनीक का सहारा लेते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि डिजिटल प्रणाली अब दोहरी प्रविष्टि को स्वीकार नहीं करेगी। इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं और लोग स्वयं आगे आकर मतदाता सूची में सुधार करवा रहे हैं।

निष्कर्ष :- विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। यह एक पारदर्शी, समावेशी और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया है। डीग जिले में 68इ से अधिक कार्य पूर्ण कर लेना और एक ही दिन में 50,000 से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन करना, हमारी प्रशासनिक मशीनरी की बदलती कार्यसंस्कृति का प्रमाण है। यह अभियान सिद्ध करता है कि जब प्रशासन की इच्छाशक्ति और जनता का विश्वास एक साथ मिल जाते हैं, तो लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती हैं।

–उत्सव कौशल
(आईएएस),
डीग जिला कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के कारण और समाधान

प्रो. अशोक कुमार

प्रतियोगी परीक्षाएँ योग्यता-आधारित सामाजिक गतिशीलता की आधारशिला हैं। हालाँकि, प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं की बढ़ती संख्या ने इस पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक गहरा संकट उत्पन्न कर दिया है, जो लाखों युवा उम्मीदवारों के भविष्य और सार्वजनिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। यह संकट राष्ट्रीय महत्व का हो गया है।

हालिया प्रमुख घटनाएँ और प्रभावित छात्रों का डेटा हाल के वर्षों में लीक की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो इस संकट के विशाल पैमाने को दर्शाती है। 2024 में, कई महत्वपूर्ण भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फरवरी 2024 में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से लगभग 48 लाख युवा उम्मीदवार प्रभावित हुए। राज्य सरकार को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी और इस घोटाले में शामिल 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी वर्ष, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (ळइइएण) द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) प्रारंभिक परीक्षा भी लीक का शिकार हुई, जिसके बाद इसे रद्द किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं ने व्यापक चिंता उत्पन्न की। NEET UG 2024 की परीक्षा, जिसमें 23 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स विवादों के कारण विवादों में घिर गई। जब परिणाम घोषित हुए, तो 67 छात्रों ने एक साथ शीर्ष रैंक हासिल की, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा हुआ, और मामले की जाँच सीबीआई को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त, जून 2024 के केवल 10 दिनों के भीतर, NEET UG और UGC NET जैसी प्रमुख परीक्षाओं सहित चार बड़ी परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करना पड़ा, जिससे प्रभावित छात्रों की कुल संख्या 38 लाख से अधिक हो गई। यूजीसी-नेट परीक्षा को उसके आयोजन के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि पेपर डार्क वेब पर लीक हो गया था। यह निरंतर और बड़े पैमाने पर लीक की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि समस्या अब केवल स्थानीय प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय एजेंसियों की परिचालन क्षमता पर राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े करती है। परीक्षा लीकेज के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पेपर लीक के प्रभाव केवल परीक्षा रद्द होने तक सीमित नहीं हैं।

बार-बार परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों के मनोबल पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनमें लंबे समय तक तनाव और चिंता की स्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त, तैयारी, कोचिंग और यात्रा में लगने वाली आर्थिक लागत भी बर्बाद हो जाती है। यह योग्यता-आधारित प्रणाली पर सीधा हमला है; लीक हुए पेपर कथित तौर पर 50,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक की रकम में बेचे जा रहे थे। यदि अयोग्य व्यक्ति डमी उम्मीदवारों या लीक हुए पेपर के माध्यम से प्रशासक बनते हैं, तो यह देश के प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। . पेपर लीक के मूल कारण: संस्थागत विफलता और संगठित अपराध पेपर लीक एक जटिल घटना है जो संस्थागत कमजोरियों और संगठित आपराधिक नेटवर्क की बढ़ती ताकत का परिणाम है। संस्थागत और प्रक्रियात्मक कमजोरियाँ परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया श्रृंखला में कई कमजोरियाँ हैं:

सुरक्षा चूक: प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण की पारंपरिक विधि में अक्सर मैनुअल हस्तक्षेप के कई बिंदु शामिल होते हैं, जिन्हें टचपॉइंट्स कहा जाता है। इन बिंदुओं पर सुरक्षा भंग हो सकती है।

लॉजिस्टिक्स में असुरक्षित टचपॉइंट: परिवहन और वेयरहाउसिंग का चरण अक्सर सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है। लॉजिस्टिक्स जैसी कोर प्रक्रियाओं को निजी सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्स करना एक प्रमुख जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि ये कंपनियाँ संगठित अपराध के लिए एक आसान प्रवेश द्वार (Entry Point) प्रदान करती हैं।

आंतरिक मिलीभगत: परीक्षा केंद्र स्वयं भी असुरक्षा के बिंदु बन सकते हैं, जहाँ केंद्र के कर्मचारियों की मिलीभगत से रिमोट एक्सेस टूल जैसे माध्यमों से नकल कराई जाती है।

संगठित आपराधिक सिंडिकेट्स की कार्यप्रणाली पेपर लीक अब अत्यधिक संगठित, अंतर-राज्यीय सिंडिकेट्स द्वारा संचालित होते हैं।

उच्च वित्तीय प्रेरणा: सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण के कारण, पेपर लीक संगठित अपराध के लिए एक उच्च लाभदायक व्यवसाय बन गया है। सिंडिकेट्स कमजोर कड़ी को निशाना बनाते हैं और लाखों रुपये कमाते हैं, जिससे यह एक अरबों रुपये का काला बाजार बन जाता है।

डमी उम्मीदवारों का इस्तेमाल: इन सिंडिकेट्स की कार्यप्रणाली में डमी उम्मीदवार (Proxy Candidates) का उपयोग करना एक प्रमुख तरीका है, जो शैक्षिणक रूप से योग्य होते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मूल उम्मीदवार की जगह परीक्षा में बैठते हैं।

प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग: ये गिरोह नकल के लिए परिष्कृत तकनीकें अपनाते हैं और पूरे परीक्षा चक्र (दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़) को निशाना बनाते हैं। कानूनी और दंडनीय ढाँचा: निवारण के प्रयास पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने दंडात्मक और निवारक कानूनों को सख्त किया है। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में यह अधिनियम लागू किया, जो ळइइएण, एएण, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और NTA द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को कवर करता है।

अपराध और दंड: सामान्य व्यक्तियों के लिए, न्यूनतम 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना है। संगठित अपराध पर कठोरता: संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के लिए 5 से 10 साल तक की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

सेवा प्रदाताओं के लिए दंड: यदि कोई सेवा प्रदाता (प्रिंटिंग प्रेस या लॉजिस्टिक्स) दोषी पाया जाता है, तो उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। राज्य-स्तरीय कानूनों की कठोरता उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 पेश किया है, जिसमें पेपर लीक करने पर आजीवन कारावास (उम्रकैद) तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान में भी पेपर लीक के लिए उम्रकैद और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है 3.3 दंडात्मक प्रावधानों का कार्यान्वयन कठोर कानून बनाना केवल आधा समाधान है। यदि जांच और अभियोजन की प्रक्रिया धीमी रहती है (जैसा कि राजस्थान के सख्त कानून में देखा गया है, जहाँ 2022 के कानून के तहत अभी तक किसी को प्रभावी सजा नहीं मिली है), तो कानून केवल कागज़ पर ही मजबूत रहता है। इसलिए, विधायी-कार्यात्मक अंतराल को समाप्त करने के लिए, पेपर लीक के मामलों की तेजी से सुनवाई और निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और जांच/फैसले के लिए 6 महीने की समय सीमा तय करना आवश्यक है।

दीर्घकालिक समाधान: संस्थागत अखंडता का रोडमैप पेपर लीक की समस्या का दीर्घकालिक समाधान केवल दंडात्मक कार्रवाई में नहीं, बल्कि संस्थागत अखंडता, प्रशासनिक पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के रणनीतिक एकीकरण में निहित है।

प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सुधार

NTA का पुनर्गठन और ऑडिट: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जैसी प्रमुख परीक्षा एजेंसियों में सुधार आवश्यक है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि NTA के संचालन में सुधार के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू की जाएंगी, जिनमें परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार और तकनीकी अपग्रेडेशन शामिल हैं।

सुरक्षा प्रोटोकॉल का मानकीकरण: प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल हैंडलिंग को न्यूनतम करना चाहिए। लॉजिस्टिक्स जैसे चरणों को या तो अत्यधिक सुरक्षित सरकारी इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए या निजी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। सभी कर्मचारियों की गहन पृष्ठभूमि जाँच अनिवार्य होनी चाहिए। अत्याधुनिक तकनीकी सुरक्षा उपायों का एकीकरण प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग परीक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है:-

सुरक्षित डिजिटल डिलीवरी: उन्नत एन्क्रिप्शन (Encryption) और डिजिटल वॉटरमार्किंग का उपयोग किया जाना चाहिए। जस्ट-इन-टाइम डिजिटल डिलीवरी' मॉडल अपनाया जा सकता है, जिसके तहत एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले सुरक्षित सर्वर के माध्यम से केंद्रों को भेजे जाते हैं। यह मुद्रण, भंडारण और परिवहन के दौरान लीक होने के जोखिम को समाप्त कर देता है।

बायोमेट्रिक सत्यापन और AI निगरानी: डमी उम्मीदवारों की समस्या को समाप्त करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट) और आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षाओं में एआई-आधारित रिमोट प्रोक्टरिंग और परीक्षा केंद्रों पर उन्नत सीसीटीवी का उपयोग करके संदिग्ध गतिविधियों की स्वचालित रूप से निगरानी की जा सकती है।

ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग: प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन (Blockchain) तकनीक का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। यह एक अपरिवर्तनीय (Immutable) लेजर प्रदान करता है, जिस पर प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर वितरण तक के प्रत्येक चरण को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

मूल्यांकन प्रणाली में संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक रूप से, शैक्षिक मूल्यांकन में संरचनात्मक सुधार किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में पारंपरिक रटने की प्रक्रिया से दूर हटकर योग्यता-आधारित मूल्यांकन (Competence-based assessment) और महत्वपूर्ण सोच (Critical Thinking) पर जोर दिया गया है। यदि परीक्षा का स्वरूप उच्च श्रेणी के कौशल और वैचारिक स्पष्टता की मांग करता है, तो पेपर लीक की वित्तीय प्रेरणा स्वतः ही कम हो जाएगी।

निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें

पेपर लीक संस्थानो की योग्यता (meritocracy) पर एक सीधा हमला है। हालांकि कठोर दंडात्मक कानून (जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024) लागू किए गए हैं, लेकिन ये कानून तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें अभेद्य तकनीकी सुरक्षा उपायों (AI, एन्क्रिप्शन) और मजबूत, ऑडिटेड प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत किया जाए। सरकार को सिस्टम पर निरंतर दबाव बनाना चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि केवल काबिल छात्र ही आगे बढ़ें। न्यायिक और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करके, सिंडिकेट्स के वित्तीय नेटवर्क (मनी ट्रेल) की गहराई से जांच करके और त्वरित न्याय सुनिश्चित करके ही इस संकट को समाप्त किया जा सकता है। परीक्षा संचालन में पूर्ण पारदर्शिता और निरंतर संचार बनाए रखना भी छात्रों के विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर ,
गोरखपुर विश्वविद्यालय ,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

'आरपीएससी द्वारा शुरू की गई आवेदन विदड्रा सुविधा प्रभावी सिद्ध हो रही है'

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा शुरू की गई आवेदन विदड्रा सुविधा (आवेदन वापस लेने का अवसर) अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। आयोग के इस दूरदर्शी निर्णय ने न केवल राजकोषीय व्यय में उल्लेखनीय कमी की है, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं की गति और पारदर्शिता को भी सुदृढ़ किया है। यह पहल उन अभ्यर्थियों को अवसर देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई, जिन्होंने वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन कर दिया था। विदड्रा विकल्प उपलब्ध होने से अब केवल गंभीर और योग्य अभ्यर्थी ही प्रतिस्पर्धा में बने रहते हैं, जिससे परीक्षा आयोजन पर होने वाले अनावश्यक खर्च में भारी कमी आई है। प्रति अभ्यर्थी परीक्षा व्यय का न्यूनतम औसत जोड़े तो आवेदन वापसी के कारण हुई बचत करोड़ों रुपये तक पहुँच रही है।

आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि अनावश्यक आवेदनों के बोझ से मुक्ति मिलने से आयोग अब योग्य अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी और अंतिम चयन प्रक्रिया को अधिक तेज़ी और कुशलता से पूरा कर पा रहा है। उन्होंने इसे पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती तंत्र की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि अन्य भर्ती संस्थाएं भी इस नवाचार को अपना रही हैं। अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि वांछित योग्यता न होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज शिक्षा) भर्ती-2024 में योग्यता नहीं होने के बावजूद चेतावनी के बाद भी आवेदन वापस नहीं लेने वाले 14 अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया गया है।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह नवाचार केवल वित्तीय बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है। लाखों की संख्या में अवांछित आवेदनों को प्रारंभिक चरण में ही अलग कर देने से प्रश्नपत्र मुद्रण, परीक्षा केंद्र प्रबंधन, सत्र निर्धारण और अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले भारी सार्वजनिक व्यय में उल्लेखनीय कमी हुई है।

न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ही आवेदन करने की अपील :- चूंकि आवेदन प्रक्रिया निशुल्क है, कई अभ्यर्थी अपनी योग्यता की जांच किए बिना ही आवेदन कर देते हैं, जिससे समय, धन और श्रम सभी का अपव्यय होता है। आयोग ने अपील की है कि अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें जो न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता रखते हों तथा परीक्षा में शामिल होने की वास्तविक इच्छा रखते हो। इससे परीक्षाओं का आयोजन सुचारू, समयबद्ध और निर्बाध रूप से हो सकेगा।